

मालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

20⁰/₂₅ पत्रावली पैरा हुई। वकील सायल उप।
 औरसायलान के शजि० नोटिस तलवामा
 पैरा नहीं होतै पर प्रकण खारिज कर
 दिया जावेगा। पत्रावली वास्ते तलमी
 दि. 23.12.25 को पैरा हो।

23/12/25 पत्रावली पैरा हुई। बाट बाट

आवाज डिलान के उपरान भी सायल एवं
 उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। इसलिए
 मु० नं. 722/2020 पार्वन पत्र अस्वाइ
 निषेधाज्ञा अदम परवी, अदम हाजरी
 में खारिज किया जात है तथा उमर उवरण
 में दि० 9/7/2020 को जरी अनिनिम स्थगन
 आदेश विरुद्ध किये जाते हैं। पत्रावली फंसल
 सुमार होकर बाद तलमील नम्बर व फंस
 की जाकर दाखिल इफ्तल हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनायी

गया।